संख्याः शिक्षा –ईडीएन –एच ई(13)-1/2012 (Pension Instruction)
शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला– 171001 मार्च,2018

सेवामें

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्च)
हिमाचल प्रदेश ।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
04 APR 2018

विषयः– हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को पच्चीस वर्ष(अब 18 वर्ष) की सेवा पूरा करने के बाद या उनकी सेवानिवृति की तिथि से पांच साल पहले अर्हकारी सेवाकाल को सत्यापित करने बारे।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः फिन(पेन)बी(10) –3/2006 –खण्ड–1 दिनांक 07.03.2018 के तहत प्राप्त हुआ है। जिसके अर्न्तगत यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 32 के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृति में पांच साल का समय बचा हो या फिर जिन्होने 18 वर्ष की सेवा का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, जो भी पहले हो, कार्यालयाध्यक्षों को प्रचलित नियमों के अनुसार लेखा अधिकारी से परामर्श उपरान्त ऐसे कर्मचारियों की सेवा को सत्यापित करके, अर्हकारी सेवा को निर्धारित करने उपरान्त निर्धारित अर्हकारी सेवाकाल को फार्म –24 पर सम्बन्धित कर्मचारी को सूचित करना अनिवार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय ने उनके अ०शा०पत्र सं० / पैन्शन –1/विविध/हि०प्र० सरकार/2017–18/2841 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभागाध्यक्षों/ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियमों के तहत निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से महालेखाकार कार्यालय में कर्मचारी की पैन्शन के अन्तिम दस्तावेज़ बनाते हुए अर्हकारी सेवा निर्धारण करने में बहुत अधिक समय लगता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे आग्रह है कि अपने अधिनस्थ कार्यालयाध्यक्षों तथा सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 32 के अन्तर्गम का सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों / अधिकारियों के पैन्शन मामले केन्द्रीय सिविल सेवानिवृति से पहले महालेखाकार (ले० व ह०) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को अर्हकारी सेवा निर्धारण करने उपरान्त समय पर भेजें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा पैन्शन सम्बन्धित मामलों को अन्तिम रुप दे कर समय पर पैन्शन सम्बन्धित मामलों का निपटारा सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकण संख्या : शिक्षा- ऊना(ई-१) गार्ड फाइल/2018- 3430
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक ऊच्तर ऊना ज़िला ऊना १ 13 अप्रैल, 2018
प्रितिलिपि: समस्त प्रधानाचार्य /मुख्याध्यापक /राजकीय बरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशालाये ज़िला ऊना को सूचनार्थ एबम आबश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित है १

उप शिक्षा निदेशक उच्चतर,
ऊना,ज़िला ऊना